न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 219/2016

1. चरणजीतकौर पुत्री साधुसिंह पत्नि मलकितसिंह जाति जटसिख निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी सैक्टश्र नम्बर 34 चण्डीगढ़।

– – **वादी**

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

– – **प्रतिवादी**

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. घोषणा एवम् 136 एल.आर. बाबत दुरूस्ती

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हंसराज तनेजा अधिवक्ता — वादी
2. पैरोकार राज — प्रतिवादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 05.06.2018

वादीया ने प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. एवम् 136 एल. आर. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 1 एल बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 30/26 मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 25 की 6.034 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 22 की 3.112 हैक्टर कुल 9146 हैक्टर में से 0.500 हैक्टर खातेदारी दर्ज है। जमाबन्दी की नकल शामिल है।

वादीया को उपरोक्त भूमि अपनें पिता स्व. साधुसिंह पुत्र बैशाखासिंह की विरासत में मिलि हुई है। इस प्रकार वादिया के पिता का नाम साधुसिंह है एवम् वादिया विवाहित है तथा उसके पति का नाम मलकीतसिंह है मगर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 अथवा इसके उपरान्त की जमाबन्दी में वादीया को साधुसिंह की पत्नि दर्ज किया हुआ है। जबकि साधुसिंह वादीया के पिता थे। एवम् मलकीतसिंह वादीया के पति है। इस प्रकार जमाबन्दी में इन्द्राज करते समय वादीया को साुधसिंह की पुत्री के स्थान पर कलेरिकल मिस्टेक अथवा अन्य कारण यानि क़र्मचारीगण माल की गल्ती के कारण साधुसिंह की पुत्री के स्थान पर पत्नी दर्ज किया गया है अतः वादिया के लिये उपरोक्त भूमि को अपनी खातेदारी अथवा चरणजीतकौर पुत्र साधुसिंह, पत्नी मलकितसिंह घोषित करवाना तथ राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती करवाते हुए चरणजीतकौर के बाद पत्नि के स्थान पर पुत्री दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है क्योंकि इसके अभाव में वह भूमि में ना हरे सुधार कार्य करवा सकती है तथा ना ही भूमि को मुन्तकिल करनें सम्बधी कोई कार्य व कार्यवाही ही कर सकती है अतः वादीया के लिये दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है ग्राम पंचायत मटीली राठज्ञन द्वारा दिनांक 30.09.2016 को प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जिसके अनुसार साधुसिंह वादीया का पिता होना दर्ज किया हुआ है। प्रमाण पत्र शामिल है। इस सम्बध में वादीया के पति का नाम मलकितसिंह है ना कि साधुसिंह अन्य रिकार्ड भी शामिल है। जिससे भी यह स्पष्ट है कि वादीया साधुसिंह की पत्नि ना होकर पुत्री है अतः जमाबन्दी का इन्द्राज गलत होना स्पष्ट है।

वादीया नें प्रतिवादी से बार बार आग्रह किया कि वह राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में आवश्यक दुरूस्ती करते हुए वादीया चरणजीतकौर कौर साधुसिंह की पुत्री होना दर्ज करें तथा वादीया को एक एल बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 30/26 मुरब्बा नम्बर 7 व 33 कि कुल 9.146 हैक्टर में से 0.500 हैक्टर का खातेदार मानकर राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती करते हुए चरणजीतकौर पुत्री साधुसिंह दर्ज करें मगर वह टाल मटोल

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

करते हुए दिनांक 05.12.2016 को इन्कार होते स्पष्ट कहा गया है, कि वह श्रीमान् न्यायालय के आदेश लानें पर ही आवश्यक दुरूस्ती कर सकते है अतः यही बिनाय मुखस्मत है एवम् दावा हाजा लाना आवश्ययक हो गया है।

अतः वाद वादीया बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादी डिक्री पारित करते हुए वादीया को चक एल बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 30/26 मुरब्बा नम्बर 7, 33 की 9.146 हैक्टर में से 0.500 हैक्टर का खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती करनें का आदेश पारित करते हुए जमाबन्दी के खाता संख्या 4 में जहां वादीया को साधुसिंह की पत्नि दर्ज किया गया है के स्थान पर पुत्री दर्ज करनें के आदेश फरमाया जावे। अन्य कोई अनुतोष जो वादीया के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि चक 1 एल. बड़ा के खाता संख्या 30 पर मुरब्बा नम्बर 7 व 33 की कुल 9146 हैक्टर नहरी भूमि में चरणजीतकौर पत्नी साधुसिंह के नाम 0.500 हैक्टर नहरी भूमि खातेदारी दर्ज है जो कि चरणजीतकौर को अपने पिता साधुसिंह से जरिये इन्तकाल नम्बर 338 विरास्तन प्राप्त हुई है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो कोई एतराज नहीं है।

चुँकि प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादी के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस को सुना गया, वादी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचयत मटीली राठान द्वारा भी प्रमाणित किया है, कि चरणजीतकौर पत्नि साधुसिंह है, जो कि गलत है चरणजीत कौर स्व. साधुसिंह की पुत्री है। इनको मै व्यक्तिगत रूप से जानती हुँ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के सपठित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत चक एल बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 30/26 मुरब्बा नम्बर 7, 33 की 9.146 हैक्टर में से 0.500 हैक्टर का खातेदार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में आवश्यक दुरूस्ती करनें का आदेश पारित करते हुए जमाबन्दी में वादीया चरणजीतकौर को साधुसिंह की पत्नि दर्ज किया गया है के स्थान पर पुत्री दर्ज करनें के आदेश प्रदान किये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) तथा हिस्सा कस्सी पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 05.06.2018 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत मटीली राठान के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी